

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1/प्रा०आ०-0-3-23/2013-06/आ०प्र० दिनांक 15.05.2013, विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना पत्रांक 58 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 30.08.13, पत्रांक 60(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 04.09.13, पत्रांक 61(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 10.09.13 तथा संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 77(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 25.10.13 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान विपत्र कोड-एन० 2245021010001 मद में क्रमशः 40.00 (चालीस लाख), 40.00 (चालीस लाख), 100.00 (एक करोड़), 200.00 (दो करोड़) तथा 767.25 (सात करोड़ सड़सठ लाख पच्चीस हजार) रुपये अर्थात् कुल 1147250.00 (ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख दो सौ पचास) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 693/आ०प्र० दिनांक 01.07.13, ज्ञापांक 836/आ०प्र० दिनांक 03.08.13, ज्ञापांक 1124/आ०प्र० दिनांक 13.09.13, ज्ञापांक 1138/आ०प्र० दिनांक 17.09.13, ज्ञापांक 1224/आ०प्र० दिनांक 03.10.13 तथा ज्ञापांक 1380/आ०प्र० दिनांक 28.10.13 द्वारा विभिन्न अंचलों को उपावटित किया गया है।

पुनः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 113(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 25.02.14 द्वारा उक्त मद में 113250.00 (एक लाख तेरह हजार दो सौ पचास) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(राशि :- लाख रुपये में)

क्रमांक	उपावटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	योग
01.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	71.655	0.00	71.655
02.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	158.715	0.00	158.715
03.	अंचल अधिकारी, फतुहा	132.405	0.00	132.405
04.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	147.090	0.00	147.090
05.	अंचल अधिकारी, पुनपुन	0.000	0.00	0.000
06.	अंचल अधिकारी, दानापुर	259.500	1.1325	260.6325
07.	अंचल अधिकारी, मनेर	323.220	0.00	323.220
08.	अंचल अधिकारी, मोकामा	52.305	0.00	52.305
09.	अंचल अधिकारी, बाढ़	1.530	0.00	1.530
10.	अंचल अधिकारी, खुसरूपुर	0.830	0.00	0.830
कुल उपावटित राशि		1147.250	1.1325	1148.3825

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010001 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. यह राशि सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 21371/2013 में दिनांक 19.12.13 को पारित आदेश के आलोक में बाढ़ 2011 के अवसर पर दानापुर अंचल अंतर्गत बाढ़ राहत से वंचित कुल 453

परिवारों को तत्समय के परिचारित दर पर नकद अनुदान वितरण हेतु अंचल अधिकारी, दानापुर के पत्रांक 347 दिनांक 30.01.14 के आलोक में उपावंटित की जा रही है।


3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। व्यय होनेवाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000- आकस्मिकता निधि" अंकित किया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-03/2013 277/आ०प्र०, दिनांक 01/03/14

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला पदाधिकारी,
पटना।